09/01/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रा० पत्र 09 R9 cpc के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

2. आवे० प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण प्रकरण में नियमित रूप उपस्थित हो रहे थे लेकिन दिनांक 10/10/2019 के बाद न्यायालय मे पीठासीन अधिकारी द्वारा करीब 04 वर्षों तक सुनवाई नही करने से और कोर्ट मे नही बैठने से प्रार्थीगण को तारीख पेशीयो की जानकारी नही हो पाई थी और वकील प्रार्थीगण द्वारा भी 02 तारीख पेशीयो पर present रहकर बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये दिनांक 07/11/2024 को अचानक absent रहने से एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई 04 वर्षों तक court नही चलने एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई गलती की सजा प्रार्थीगण किसानों नही दी जावे। आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण का वाद Khatedari rights की घोषणा का है अतः प्रार्थीगण की दे[illegible] माफ कर प्रा०पत्र धारा-5 limitation Act [illegible] स्वीकार ex-parte order को set aside कर सुनवाई का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रदान कर गुणावगुण पर adjudication किया जावे।

3. आमी० अप्रार्थीगण का बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 07/11/2024 को ex-parte order को 90 days के बाद पेश प्रा० पत्र 09R09 cpc को खारिज किया जावे। प्रार्थीगण को प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी लेकिन जानबूझकर अनुपस्थित रहे थे। वकील प्रार्थीगण भी जानबूझकर absent रहे है अतः प्रा० पत्र धारा-5 limitation Act व 09R9 cpc खारिज फरमावे जावे।

4. पत्रावली मे उपलब्ध प्रकरण न० 123/2016 भगवान भीमीबाई v/s कमलसिंह की ordersheet के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादी दिनांक 10/10/2019 तक court मे नियमित रूप से उपस्थित रहे है फिर Next hearing date से लगभग 04 वर्षो से पीठासीन अधिकारी कोर्ट मे नही बैठे फिर दिनांक 08/08/2024 को hearing हुई। 04 वर्षो तक P.O. के कोर्ट मे नही बैठने से प्रकरण मे तारीख पर तारीख होने से प्रार्थीगण को तारीख पेशी दिनांक 07/11/2024 की जानकारी (ग्रामीण-किसान) नही होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। वकील प्रार्थीगण के भी प्रार्थीगण को सूचना दिये बिना absent रहने से, प्रार्थीगण को सजा देना न्यायोचित नही है। प्रकरण मे दिनांक 07/11/2024 को ex-parte order जारी हुआ [illegible] प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23/01/2025 को यह प्रा० पत्र पेश किया है जो 30 days की सीमा से 47 की देरी से पेश किया गया है जो न्याय हित मे माफ योग्य होने से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहका[...] हुक्म की[...] में जारी |
|---|---|---|
| | प्रा० पत्र धारा -5 Limitation Act स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया का प्रा० पत्र 09R9 CPC r.w.s. 151 CPC भी 500 रुपये की cost पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया के विरुद्ध जारी ex-parte order dated 07/11/2024 को न्यायहित में set-aside किया जाता है। प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 16/01/2026 को पेश हो।<br><br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (seal)<br><br>09/01/26<br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner